प्रेस नोट

राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास की दिशा में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन संस्थाओं ने हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा संचालित हिंदी परीक्षाओं को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान की है ताकि लोगों को हिंदी का ज्ञान हो सके और इसके माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर सकें। भारत सरकार ने हिंदी समिति की सिफारिश और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से इन संस्थाओं द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाओं को 1960 से मान्यता देना शुरू किया ताकि इन परीक्षाओं को पास करने पर उम्मीदवार उन सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बन सकें, जिनके लिए हिंदी की योग्यता आवश्यक है। इस विषय पर कई प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई हैं। समय-समय पर अस्थायी मान्यता की अवधि भी बढ़ाई जाती रही है। बाद में कुछ संस्थाओं की परीक्षाओं को स्थाई मान्यता दी गई है। यद्यपि कुछ संस्थाओं को अस्थायी मान्यता दी गई है।

हिंदी शिक्षा समिति, भारत सरकार में एक स्थायी संस्था है। यह समिति हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास के संबंध में भारत सरकार को समय-समय पर सलाह देती है और सिफारिशें करती है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की जाती है।

किसी भी स्वैच्छिक संस्था को चाहे वह स्वयं हिंदी की परीक्षा आयोजित करती हो या किसी भी मान्यता प्राप्त अन्य स्वैच्छिक हिंदी संस्था के माध्यम से परीक्षा संचालित करती हो, मान्यता प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34 कोटला मार्ग, नई दिल्ली को मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजना होता है। इस प्रस्ताव के आधार पर संस्था संघ परीक्षा की मान्यता संबंधी मानदण्डों और नियमों के अनुसार उस संस्था का निरीक्षण करता है और मान्यता के लिए मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजता है। इसके बाद मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय की एक निरीक्षण समिति स्वतंत्र रूप में उस संस्था का निरीक्षण करती है और अपनी रिपोर्ट हिंदी शिक्षा समिति के विचार के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करती है।

कुछ समाचार पत्रों में "परीक्षा" शीर्षक के अधीन यह समाचार छपा होता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) की प्रथमा और मध्यमा परीक्षा को क्रमशः एस0एल0सी0 और डी0ए0 के समकक्ष मान्यता दी गई है। इस प्रकार के समाचार का स्पष्टीकरण इस मंत्रालय से समय-समय पर दिया जाता रहा है। कुछ वर्ष पहले उप-शिक्षा मंत्री, श्री वी0के0 दुग्गल ने लोकसभा में स्थिति स्पष्ट की थी और बताया था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन,प्रयाग की वास्तविक स्थिति भिन्न है क्योंकि यह एक स्वैच्छिक

..2/-

संगठन है न कि विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। यह किसी राज्य परीक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय के समान नहीं माना जाता है। इसलिए इस संस्था द्वारा आयोजित इन परीक्षाओं को केंद्र सरकार द्वारा हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और बी0ए0 के बराबर मान्यता नहीं दी गई है। इस संस्था को केवल हिंदी विषय की परीक्षा को संचालित करने की मान्यता दी गई है, भले ही, यह हिंदी के साथ-साथ अन्य विषयों को भी तैयार करती हो।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी पद के लिए निर्धारित किए गए हिंदी स्तर के निर्धारिण के प्रयोजन से हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा और मध्यमा परीक्षाओं को क्रमशः एस0एल0सी0 तथा बी0ए0 के बराबर सरकार से मान्यता दी गई है।

इसी प्रकार अन्य स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं की मान्यता के बारे में भी कहा जा सकता है कि ये परीक्षाएं न तो किसी राज्य परीक्षा परिषद् और न ही विश्वविद्यालय के समकक्ष मानी गई हैं। जहां तक सरकारी नौकरियों के लिए इन परीक्षाओं को मान्यता का प्रश्न है, इस संबंध में यह निश्चय किया गया है कि यदि सरकारी अथवा गैर-सरकारी कार्यालय और अर्ध-सरकारी संस्था या शैक्षिक संस्था में किसी पद के लिए हिंदी की कोई विशेष योग्यता निर्धारित की गई है तो इन परीक्षाओं से प्राप्त की गई योग्यता से योग्यताधारी व्यक्ति इन पदों के पात्र हो सकते हैं, परन्तु हिंदी की अलग से यदि कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं तो स्वैच्छिक हिंदी संस्था से प्रमाण-पत्र या डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति विश्वविद्यालय या राज्य परीक्षा परिषदों के प्रमाण-पत्र या डिग्री की समकक्षता का दावा नहीं कर सकते हैं।

अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर, संक्षेप में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की मान्यता केवल संलग्न सूची में दर्शायी गई समकक्ष परीक्षा के लिए निर्धारित हिंदी के स्तर तक ही सीमित है और इसे पूर्ण प्रमाण-पत्र या डिग्री परीक्षा के बराबर नहीं माना जाएगा। अन्य जानकारी के लिए संस्थावार मान्यताओं का विवरण संलग्न है।

शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

पत्र सं0 एफ 9-1/98 डी-I (भाषा)
दिनांक:-5 मई, 1998

हिंदी परीक्षाओं की मान्यता का विवरण

सं0	संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त परीक्षा का नाम	बराबर की परीक्षा में हिंदी का निर्धारित स्तर	प्रेस विज्ञप्ति संख्या
1	हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद	1. प्रथमा 2. मध्यमा (विशारद) 3. उत्तमा (हिंदी साहित्य)	एस0एल0सी0 बी0ए0 बी0ए0 (हिंदी आनर्स)	स्थाई मान्यता एफ-7-50/69एच-1 18 फरवरी, 1970 •
2	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	1. परिचय 2. कोविद 3. रत्न	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	• • •
3	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास	1. प्रवेशिका 2. विशारद 3. प्रवीण	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	• • •
4	हिंदी विद्यापीठ देवघर (बिहार)	1. प्रवेशिका 2. साहित्य भूषण 3. साहित्यालंकार	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	• • •
5.	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना	1. प्रबोध 2. प्रवीण 3. पंडित	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	• • •
6.	हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद	1. विशारद 2. भूषण 3. विद्वान	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	• • •
7.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1. तीसरी 2. विनीत 3. सेवक	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	7-50/69 एच-1 18 फरवरी, 1970 स्थायी मान्यता
8.	बम्बई हिंदी विद्यापीठ, बम्बई	1. उत्तमा 2. भाषा रत्न 3. साहित्य-सुधाकर	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	वि0स0 एफ 2/70 हिंदी 30-3/1 स्थायी मान्यता •
9.	असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी	1. प्रबोध 2. विशारद 3. [illegible]	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	वि0सी0 7-1/73 हि0 ता0 7 जुलाई, 1973 से स्थायी मान्यता •
10	मणिपुर हिंदी परिषद्, इम्फाल	1. प्रबोध 2. विशारद 3. रत्न	एस0एल0सी0 इंटर बी0 ए0	• • •
11	हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई	1. तीसरी 2. काबिल 3. विद्वान	एस0एल0सी0 इण्टर बी0 ए0	वि0सी0 9-2/6 डी-1 हि0 13 अगस्त, 1976
12.	मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, बंगलोर	1. प्रवेश 2. उत्तमा 3. रत्न	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	वि0सी0 9-2/6 डी-1 हि0 स्थायी मान्यता • 17 नवम्बर, 76 से प0सं0 8-6/84 डी-1 ता0 10-12-85

13.	केरल हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	1. प्रवेश 2. भूषण 3. साहित्याचार्य	एस0एल0सी0 इण्टर बी0ए0	स्थायी मान्यता • प्रेस 9-6/84 डी-1(भाषा) ता0 12 दिसंबर, 1986
14	कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, बगलोर	1. राजभाषा 2. राजभाषा प्रकाश 3. राजभाषा विद्वान	एस0एल0सी इंटर बी0 ए0	स्थायी मान्यता • प0सं09-6/84-डी0-(भाषा) ता0 12 दि सं0,1986
15	कर्नाटक महिला हिंदी, सेवा समिति, बगलोर	1. हिंदी उत्तमा 2. हिंदी भाषा भूषण 3. भाषा प्रवी.ग	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	स्थायी मान्यता • प0सं09-6/डी0-1(भाषा) ता0 12 दिसंबर, 1986
16	उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, पुरी	1. विनोद 2. प्रवीण 3. शास्त्री	एस0एल0सी0 इंटर बी0ए0	स्थायी मान्यता • प0सं0 9-4/79 डी-1(भाषा) ता0 26 जुलाई, 1979
17	सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट	1. तीसरी	एस0एल0सी0	स्थायी मान्यता प0सं0एफ 9-6/84 डी 1(भाषा) ता0 12 दिसंबर, 1986
18	प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद	1. विदुया विनोदिनी 2. विदुषी साधारण 3. सरस्वती	मैट्रिक इंटर बी0ए0	स्थाई मान्यता प0सं0 9-6/84-डी-1(भाषा) ता0 12-12-86
19	मिजोरम हिंदी प्रचार सभा, आइजोल	1. प्रबोध 2. विशारद 3. प्रवीण	मैट्रिक इंटरमीडिएट बी0ए0	स्थायी मान्यता प0सं0 9-4/84 डी-1(भा0) स्थायी मान्यता ता0 12 अप्रैल, 1988
20	मुंबई हिंदी सभा, दादर, मुंबई	1. हिंदी विबोध	मैट्रिक (हिंदी)	फा0सं0 3-20/2000 डी-II (एल) 30-8-2000 द्वारा स्थायी मान्यता
21	बेलगॉव विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति, हुबली (कर्नाटक)	राजभाषा प्रबोध	मैट्रिक (हिंदी)	फा0 सं0 1-4/2003 हि0शि0स0 दिनांक 25-5-2004 के द्वारा राजभाषा प्रबोध को जून, 2005 तक अस्थायी मान्यता
22.	हिंदी शिक्षा समिति, ओड़िसा, कटक	प्रवेशिका हिंदी अभिज्ञ स्नातक •	मैट्रिक (हिंदी) इंटर (हिंदी) बी0ए0 (हिंदी)	फा0 सं0 1-4-/2003 हि0शि0स0 दिनांक 25-5-2004 के द्वारा प्रवेशिका तथा हिंदी अभिज्ञ को जून, 2002 से स्थायी मान्यता तथा स्नातक को जून, 2005 तक अस्थायी मान्यता
23	हिंदी प्रचार-प्रसार संस्थान, जयपुर	1. हिंदी कोविद 2. हिंदी प्रवीण 3. हिंदी साहित्य रत्न	मैट्रिक (हिंदी) इंटरमीडिएट(हिंदी) बी0ए0(हिंदी)	फा0सं0 1-4/2003 हि0शि0स0 दिनांक 25-5-2004 के द्वारा हिंदी कोविद तथा हिंदी प्रवीण को दिनांक 31-3-2000 से से स्थायी मान्यता। हिंदी साहित्य रत्न को जून, 2005 तक अस्थायी मान्यता।

इनमें जिन संस्थाओं की परीक्षाओं की मान्यता दिनांक 24-11-2003 से पूर्व समाप्त हो गयी थी उन्हें दिनांक 24-11-2003 तक विद्यमान समझा जाय।